



प्रधान महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, बिहार, पटना

OFFICE OF THE PR. ACCOUNTANT GENERAL (A&E), BIHAR, PATNA

पत्रांक/No. Admn-I/(A&E)/Misc(1167)/20-21/C-24

दिनांक/ Date: 30.04.2021

### कार्यालय आदेश

गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार सरकार के आदेश जी/आपदा-06-02/2020-44 वि०स०को० पटना दिनांक 28.04.2021 तथा जिला अधिकारी कार्यालय, पटना के ज्ञापांक 4087 दिनांक 29.04.2021 के आलोक में कार्यालय आदेश संख्या सी.-22 दिनांक 23.04.2021 के क्रम में अगले आदेश तक निम्न निदेश जारी किए जा रहे हैं:-

1. सभी समूह अधिकारी, वरीय लेखा अधिकारी तथा एम.टी.एस. कार्यालय में उपस्थित रहेंगे ।
2. पेंशन तथा लेखा समूह के कर्मि प्रातः 9 बजे से 4 बजे तक कार्य करेंगे । प्रशासन, फंड तथा जी.ई. समूह प्रातः 9:30 बजे से 4 तक कार्य करेंगे ।
3. पेंशन तथा लेखा एवं कार्य समूह के वरीय लेखा अधिकारी अपने नियंत्री अनुभाग के कर्मियों की प्रतिदिन 25 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए अपने समूह अधिकारी के अनुमोदन से छः दिवसीय रोस्टर तैयार करेंगे तथा उसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे ।
4. प्रशासन तथा जी.ई. समूह के वरीय लेखा अधिकारी/सहायक लेखा अधिकारी अपने नियंत्री अनुभागों के अतिआवश्यक कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर बाँट कर निष्पादित कराना सुनिश्चित करेंगे । वे यह ध्यान रखेंगे कि कार्य निष्पादन प्राथमिकता में हो न कि कर्मि की व्यक्तिगत उपस्थिति ।
5. वरीय लेखा अधिकारी, रिकर्ड तथा प्रेषण अनुभाग अनुभाग के कर्मियों की प्रतिदिन 25 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करते हुए अपने समूह अधिकारी के अनुमोदन से छः दिवसीय रोस्टर तैयार करेंगे तथा उसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे ।
6. शेष कर्मि गृह से कार्य करेंगे तथा मुख्यालय में रहते हुए कार्यालय के संपर्क में बने रहेंगे आवश्यकता होने पर उन्हे सक्षम अधिकारी द्वारा कार्यालय में उपस्थित होने का आदेश दिया जा सकता है ।
7. कार्यालय आदेश संख्या सी.13 दिनांक 13.04.2021 द्वारा जारी अन्य अनुदेश इस अवधि में प्रभावी रहेंगे ।

ह०/-

वरीय उप महालेखाकार (प्रशासन)

प्रतिलिपि:-

1. प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक.) का सचिवालय
2. वरीय उप महालेखाकार (प्रशासन/जी.ई.) का सचिवालय
3. वरीय उप महालेखाकार (पेंशन/फंड) का सचिवालय
4. वरीय उप महालेखाकार (लेखा/भी.एल.सी/कार्य) का सचिवालय
5. प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक.) कार्यालय के सभी कर्मि
6. सूचना पट्ट

वरीय उप महालेखाकार (प्रशासन)